

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

रीडर/2024/ 6587

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

दिनांक - 09/12/24

1 रमेश 2 सतीश 3 खीमा 4 कानाराम 5 गजाराम पिसरान मलाराम 6 शंकरलाल 7 राजाराम 8 अशोक 9 संतोष पिसरान खीमाराम 10 इन्द्रादेवी पत्नी खीमाराम 11 हरीश पुत्र राउराम 12 रामूराम 13 महेन्द्र 14 जबरा पिसरान मानाराम 15 हरीश पुत्र राउराम 16 गजाराम 17 मनफूल 18 मंशीराम पिसरान हुकमाराम 19 मंशीराम पुत्र पुनमाराम जाति सांसी निवासी सांसीयो की बस्ती बान्दरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण


1 भीखाराम पुत्र जालूराम 2 रमेश 3 शंकराराम 4 कृष्णराम 5 शान्तिलाल 6 सूरजराम 7 किशोर 8 जयन्तीलाल पिसरान सोनाराम 9 कमला पत्नि सोनाराम 10 श्यामाराम पुत्र राणाराम 11 सीता पत्नी राणाराम 12 गुमानराम 13 शंकरलाल 14 राजूराम पिसरान रूपाराम जाति सांसी नि०सांसीयो की बस्ती बान्दरा 15 उदाराम पुत्र नरसिंगाराम 16 प्रकाश 17 किरतसिंह 18 रेंवतसिंह पिसरान लुणसिंह जाति वजीर निवासी सांसीयो की बस्ती बान्दरा बाड़मेर ग्रामीण 19 प्रहलादसिंह पुत्र सुरतसिंह राजपूत निवासी चंदाणियो की ढाणी त०बाड़मेर 20 जगदीश कुमार पुत्र विष्णुदास सिन्धी नि०गोल्फकोर्स स्कीम रातानाडा जोधपुर 25 तुलसीदास पुत्र मेघूमल सिन्धी निवासी अग्रवालो का मौहल्ला बाड़मेर 26 गणेशाराम 27 चुताराराम पिसरान दीपाराम 28 धापू पत्नि दीपाराम 29. भारूराम पुत्र दीपाराम जाति जाट निवासी सांसीयो की बस्ती 30. गुमानसिंह 32 नगसिंह 33 मोहनसिंह 34 सुजानसिंह पिसरान पुनमाराम जाति वजीर नि०सांसीयो की बस्ती 35 कमलादेवी पत्नि सोनाराम 36 रामाराम 37 शंहशाह पिसरान सोनाराम 38 शान्ति पत्नि रूपाराम 39 सोनूराम 40 गुडडी 41 नगीना 42 बबलू पिसरान रूपाराम 43 जाति सांसी निवासी सांसीयो की बस्ती बान्दरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 505/2024

दिनांक- 26/11/24

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा सांसीयो की बस्ती पटवार हल्का बान्दरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 877/548 रकबा 8.0937 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामिण को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


(वीरमा राम)

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

दिनांक- 09/12/24

क्रमांक :- रीडर/2024/ 6588-6591

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बान्दरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण रमेश पुत्र मलाराम वगैराह जाति सांसी निवासी सांसीयो की बस्ती बान्दरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण
4. विप्रार्थीगण भीखाराम पुत्र जालूराम वगैराह जाति सांसी निवासी सांसीयो की बस्ती बान्दरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण




उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर